प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 268/2004

कुसवा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

दिनांक: 19.03.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 268/2004

...अपीलकर्ता कुसवा, पिता पुरुषोत्तम केंवट, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम महंत, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनाम

...प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री मलय कुमार भादुड़ी और श्री कुंदन सिंह, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण।

श्रीमती मधुनिशा सिंह, राज्य/प्रत्यर्थी के पैनल अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 19 मार्च 2012 को उद्घोषित)

यह अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (तत्पश्चात 'अधिनियम, 1989') के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्र. 25/2003 में दिनांक 28-2-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय में, अभियुक्त/अपीलकर्ता कुसवा को निम्नलिखित प्रकार से दोषसिद्धि एवं दंडित किया गया है:

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के तहत	6 माह का सश्रम कारावास से दंडित और 200 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडादेश।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के तहत	6 माह का सश्रम कारावास से दंडित और 200 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश।
अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत	6 माह का सश्रम कारावास से दंडित और 200 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास दंडित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. सह-अभियुक्त छतराम को दोषमुक्त कर दिया गया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) जाति से सूर्यवंशी है, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। दिनांक 2-10-2002 को सुबह लगभग 9 बजे, शिकायतकर्ता जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) *पूजा* करके लौट रहे थे। जब वह बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) के *ठेले* के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता और दोषमुक्त किए गए अभियुक्त छतराम वहाँ बैठे थे। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को *'साले चमार'* कहकर गाली देना शुरू कर दिया, उसे पकड़ा, नीचे गिरा दिया और उसके साथ मारपीट किया। शिकायतकर्ता की बाईं आंख और सीने पर चोटें आईं। दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2), बद्री

विशाल कश्यप (अ.सा.-3) और विनोद (अ.सा.-4) वहां उपस्थित थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया। शिकायतकर्ता ने पामगढ़ पुलिस थाना में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। प्रदर्श पी-1 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्र. 149/2002 (प्रदर्श पी-2) दर्ज की गई।

अग्रिम विवेचना के दौरान, नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया गया। शिकायतकर्ता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया (प्रदर्श पी-6)। डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) ने शिकायतकर्ता का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-5) दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि शिकायतकर्ता की बाईं पलक पर सूजन थी। तहसीलदार एस.एन. सिंह (अ.सा.-6) ने शिकायतकर्ता का जाति प्रमाण पत्र जारी किया (प्रदर्श पी-4)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त छतराम के विरुद्ध जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अधिनियम, 1989 को उपार्जित कर दिया, जिन्होंने विचारण की कार्यवाही पूर्ण किया और अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्धि और दंडित किया तथा सह-अभियुक्त छतराम को दोषमुक्त कर दिया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार भादुरी और श्री कुंदन सिंह ने तर्क दिया कि यह घटना इसलिए नहीं घटित हुई थी क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के नाम पर गाली दी थी। शिकायतकर्ता जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) और दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) घनिष्ठ मित्र हैं और दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) शिकायतकर्ता के विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। वे अत्यंत हितबद्ध साक्षीगण

है। अतः, स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

5. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आपेक्षित निर्णय का समर्थन किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और विशेष दांडिक प्रकरण के अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

7. जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह सूर्यवंशी जाति का है और अपीलकर्ता केंवट जाति से हैं। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र पुलिस को सौंप दिया था। तहसीलदार एस.एन. सिंह (अ.सा.-6) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 7-7-1999 को उन्होंने जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) को जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-4) जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि वह सूर्यवंशी अनुसूचित जाति से है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1), तहसीलदार एस.एन. सिंह (अ.सा.-6) और जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-4) के साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता जाति से सूर्यवंशी है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है।

9. जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 2-10-2002 को सुबह लगभग 9 बजे, वह पूजा करने के बाद आ रहे थे। जब वह बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) के ठेले के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता और दोषमुक्त किए गए अभियुक्त छतराम वहाँ बैठे थे। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को 'साले चमार' कहकर गाली देना शुरू कर दिया, उसे पकड़ा, नीचे गिरा दिया और हाथ-मुक्के से मारपीट किया। उसकी बाईं

आंख और सीने पर चोटें आईं। दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2), बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) और विनोद (अ.सा.-4) वहां उपस्थित थे और उन्होंने घटना को देखा।

10. दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 2-10-2002 को सुबह लगभग 9 बजे वह जांजगीर जा रहा था। जब वह बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) के ठेले के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता आपस में झगड़ रहे थे। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) को 'साले चमार' कहकर अपशब्द कहे और उसे लात-मुक्के से मारा। उस समय बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) और विनोद (अ.सा.-4) वहां उपस्थित थे और उन्होंने विवाद को शांत कराया। विनोद (अ.सा.-4) ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया।

11. अब मैं यह देखूंगा कि क्या अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति से संबंधित होने के आधार पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) में प्रावधान है कि जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए जनता की दृष्टिकोण किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशाय से उसको अपमानित या उसे अभिग्रस्त करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधी छ: मास से काम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित होगा।

13. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या अभिग्रस्त साशय होनी चाहिए, अर्थात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण से उसका अपमान या अभिग्रस्त करने के आशय से की जानी चाहिए।

14. बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) ने कथन किया कि अपीलकर्ता उसके ठेले पर आया और उसे पान खिलाने के लिए कहा। उन्होंने उसे पान खिलाया। उनका ठेला 100 कदम की

दूरी पर स्थित है। नारियल फोड़ने के बाद जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) मंदिर से आ रहे थे। जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) ने अपीलकर्ता से कहा कि वह उन्हें गाली दे रहा है। अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि वह उसे गाली नहीं दे रहा था। जोहनलाल सूर्या (अ.सा.`-1) ने अपीलकर्ता का कॉलर पकड़ लिया। जब अपीलकर्ता ने अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की, तो जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) गिर गया। जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1) का पैर साइकिल में फंस गया था, इसलिए वह गिर गया।

15. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता का आरोप है कि अपीलकर्ता ने उसे उसकी जाति के नाम से अपशब्द कहे, लेकिन बद्री विशाल कश्यप (अ.सा.-3) और दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच अचानक झगड़ा हुआ और अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को 'साले चमार' कहकर अपशब्द कहे। 'साले चमार' शब्द का प्रयोग करना अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता को अपीलकर्ता द्वारा सार्वजनिक दृष्टि से अपमान करने के आशाय से उसको अपमानित या अभिग्रस्त करते हुए गाली दी गई थी। अतः, अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध के घटक सिद्ध नहीं होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध के सभी घटक उपस्थित नहीं हैं। अपीलकर्ता द्वारा 'साले चमार' शब्द का प्रयोग करने के आधार पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

17. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध का संबंध है, जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1), दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) और विनोद (अ.सा.-4) ने विशेष रूप से कथन किया कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता पर हाथ और मुक्के से मारपीट किया। उनके

साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्यों द्वारा भी पुष्ट होते हैं। इसलिए, जोहनलाल सूर्या (अ.सा.-1), दिवाकर प्रसाद (अ.सा.-2) और विनोद (अ.सा.-4) के साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपीलकर्ता को दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं।

18. इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है।

19. यहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है घटना दिनांक 2-10-2002 को हुआ था। अपीलकर्ता 3 दिनों तक अभिरक्षा में रहा। विचारण की पूरी अवधि के दौरान अपीलकर्ता जमानत पर रहा और इस अपील के लंबित रहने के दौरान भी वह जमानत पर है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे अपीलकर्ता को पुनः जेल भेजना उचित नहीं लगता। मेरा मत है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए, उसे दी गई कारावास के दंडादेश को उसके द्वारा पहले से ही भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए और साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए अर्थदंड की राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है। हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए उसे दी गई कारावास के दंडादेश को उसके द्वारा पहले से भुगती गई

अवधि तक कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए लगाए गए अर्थदंड की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दी गई है। अपीलकर्ता को अर्थदंड की राशि जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर उसे एक महीने के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। पहले से जमा की गई अर्थदंड की राशि को आज इस न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई अर्थदंड की राशि में समायोजित किया जाएगा।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - ब्रजेश कुमार तिवारी